बिहार सरकार
गृह विभाग

आदेश

संख्या–जी/आपदा–06–02/2020– 317 /अ.मु.स.को. पटना, दिनांक 18 मई 2020

भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 17 मई 2020 के द्वारा Covid-19 के कारण लॉकडाउन को दिनांक 31.5.2020 तक विस्तारित करने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है जिसकी कंडिका–8 में यह भी अंकित है कि राज्य में विद्यमान परिस्थितियों का आकलन करते हुये राज्य सरकारें कतिपय शर्तों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कुछ और गतिविधियों पर भी रोक लगा सकती है । वर्तमान समय में प्रवासी श्रमिकों के बड़ी संख्या में बाहर से आने के कारण राज्य में Covid-19 के संक्रमण में वृद्धि हो रही है। अतः भारत सरकार के द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में राज्य सरकार के स्तर से निम्नलिखित अनुवर्ती निदेश दिये जाते हैं :–

क) चूंकि राज्य के बाहर से और विशेषकर अन्य राज्यों के रेड जोन से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को बड़ी संख्या में प्रखंड स्तरीय quarantine शिविरों में रखा जा रहा है, अतः सभी प्रखंड मुख्यालय (जिला मुख्यालय को छोड़कर) रेड जोन के रूप में चिन्हित एवं घोषित किये जाएंगे । प्रखंड मुख्यालय के सभी रेड जोन में केवल उन्हीं सामग्रियों की दुकानें खोलने की अनुमति होगी जिनका स्पष्ट निर्धारण गृह विभाग के आदेश संख्या 303 दिनांक 6 मई 2020 के द्वारा किया जा चुका है । उपरोक्त शर्तों के साथ रेड जोन में वे ही सारी गतिविधियाँ अनुमान्य होगी जो भारत सरकार के पत्रांक 40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 01.05.2020 के कंडिका–7 के द्वारा निर्धारित की गयी है।

ख) सभी कंटेनमेंट जोन में भारत सरकार के द्वारा लगाये गये सभी प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे।

ग) सभी कंटेनमेंट जोन एवं सभी प्रखंड मुख्यालय(रेड जोन) को छोड़कर राज्य के सभी शेष क्षेत्र एकसमान समझे जायेंगे और उन क्षेत्रों में भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 17.05.2020 के द्वारा अनुमान्य गतिविधियां (यथा निम्नानुसार संशोधित/प्रतिबंधित) की जा सकेगीः–

(i) कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं (कपड़ा की दुकान तथा रेडिमेड वस्त्र दुकान सहित) को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा ताकि अत्यधिक भीड़ न हो। किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी–बारी से सप्ताह के अलग–अलग दिन अथवा अलग–अलग समय पर खोलने का आदेश संबंधित जिला पदाधिकारी निर्गत करेंगे। ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों में से खरीदारी के लिए जायें और उन्हें दूर के दूसरे क्षेत्रों में स्थित दुकानों में खरीदारी हेतु जाने की अनुमति नहीं होगी।

(ii) ओला/उबेर तथा अन्य टैक्सी मात्र चिकित्सीय कारणों से तथा विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए

अनुमान्य होगी। रिक्शा/ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से समुचित आदेश निर्गत करेगा। किराये के बसों का परिचालन जिला के अन्दर तथा अंतरजिला पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त गाड़ियों /व्यक्तियों का अंतर जिला/जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा (अनुमान्य गतिविधियों को छोड़कर)।

(iii) सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत–प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी/ कर्मचारी प्रतिदिन बारी–बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे।

(iv) प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक कार्यालयों में 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी।

घ) उपरोक्त शर्तों के साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्रांक 40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 17.05.2020 के द्वारा सभी निर्देश इस राज्य के अंतर्गत भी अनुपालित किए जाऐंगे।

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020– 317 /अ.मु.स.को. पटना, दिनांक 18 मई 2020

प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020– 317 /अ.मु.स.को. पटना, दिनांक 18 मई 2020

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव (श्री अनुपम कुमार)/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव (श्री मनीष कुमार वर्मा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020– 317 /अ.मु.स.को. पटना, दिनांक 18 मई 2020

प्रतिलिपि : गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

18. 5. 2020

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव